कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक- 13.10.2025

थाना सुरियावां क्षेत्रान्तर्गत घनी आबादी/रिहायशी इलाके में स्थित किराए के कमरे में अवैध रुप से भारी मात्रा में भण्डारण किया हुआ बारूदयुक्त अवैध पटाखा (मात्रा लगभग 15 कुंतल) बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार

"श्री अभिमन्यु मांगलिक" पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा आगामी त्योहार-दीपावली, धनतेरस व छठ पूजा पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने तथा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा अवैध रूप से पटाखों के भण्डारण व बिक्री में संलिप्त लोगो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में ' श्री शुभम अग्रवाल' अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी भदोही के नेतृत्व में थाना सुरियावां पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आज दिनांक 13.10.2025 को थाना सुरियावां पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना सुरियावां क्षेत्रांतर्गत बायपास चौराहा एसआर पेट्रोल पंप के पास किराए के कमरे में दबिश देकर एक अभियुक्त राकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय मानिक चंद्र गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 7 कस्बा सुरियावां नई बाजार थाना सुरियावां जनपद भदोही को गिरफ्तार किया गया तथा मौके से भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के अवैध रुप भण्डारण किया हुआ बारूदयुक्त पटाखा (मात्रा लगभग 15 कुंतल) बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सुरियावां पर मु0अ0स0- 391/2025 धारा 288 बीएनएस 5/9बी विस्फोटक अधिनियम-1884 पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हमारी एक दुकान है। दीपावली व छठ आदि त्यौहारों के मद्देनजर अधिक लाभ कमाने के नियत से किराए के कमरे पर अवैध रूप से बारूदयुक्त पटाखों का भण्डारण किया गया था जिसे मांग के अनुसार चोरी से थोक में बेचकर त्योहारों पर अच्छी खासी कमाई की जाती है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

अभियुक्त राकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय मानिक चंद्र गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 7 कस्बा सुरियावा नई बाजार थाना सुरियावां जनपद भदोही

बरामदगी विवरण —

कुल लगभग 15 कुंटल विभिन्न प्रकार का अवैध पटाखा(बुलेट बम, मिनी बम, हाइड्रो बम, चटाई, फुलझरी, रॉकेट)

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0स0- 391/2025 धारा 288 बीएनएस 5/9बी विस्फोटक अधिनियम-1884 थाना सुरियावां जनपद भदोही।

गिरफ्तारी स्थान –

बायपास चौराहा एसआर पेट्रोल पंप के पास (किराए के कमरे से) थाना सुरियावां जनपद भदोही।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उ0नि0 संजय सिंह, उ0नि0 कमलेश कुमार, कां0 महेश कुमार, कां0 चंदन, कां0 विकास यादव